

क्या आप खाद्य या मसाले लेकर न्यूजीलैंड आ रहे हैं?



यदि आप भारत से न्यूजीलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपके पास ऐसी कुछ खास वस्तुएं हो सकती हैं, जिन्हें आप लाना चाहते हैं (जैसे खाद्य सामग्री, मिठाई और प्रसाद/चढ़ावा)। हालांकि कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें आप अपने साथ निश्चित रूप से नहीं ला सकते हैं। ऐसा उन संभावित कीटों और रोगों से हमारे पर्यावरण की रक्षा में मदद पहुंचाने के लिए किया जाता है, जो न्यूजीलैंड में नहीं पाये जाते हैं।

जानें कि आप अपने साथ क्या-क्या ला सकते हैं और \$400 न्यूजीलैंड डॉलर के जुर्माने से बचें।

प्रतिबंधित वस्तुएं

कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जिन्हें आप निश्चित रूप से न्यूजीलैंड नहीं ला सकते हैं।

इनमें शामिल हैं:

- ताजे फल और सब्जियां
- फूल और बीज
- किसी भी रूप में प्रसाद – चावल, सुंदल (मसालों में मिश्रित उबले दाल), दूध, पंचामृतम (फल, शहद, गुड़, नट्स, मसालों का मिश्रण), सूगर कैंडी, नट्स, काली मिर्च, नमक, चींटियों के टीले का बालू, तुलसी के पत्ते, पोवा (नारियल और चीनी मिश्रित चावल का पाउडर)
- ताजा, मसाला लगाया हुआ और सूखा मांस और मछली
- अनाज और दाल (जैसे मसूर दाल, छोले, अरहर दाल और उड़द दाल)
- शहद और मधुमक्खी उत्पाद (शहद युक्त टॉनिक समेत जैसे च्यवनप्राश)
- अंडे

यदि आप कोई प्रतिबंधित वस्तु लेकर न्यूजीलैंड आना चाहते हैं तो आपको उनके बारे में अपने पैसेंजर अराइवल कार्ड पर बताना होगा। या फिर आप उन्हें अपने आगमन पर एक चिह्नित बायोसेक्योरिटी बिन में डाल सकते हैं।

आपको बताना होगा

आपके पैसेंजर अराइवल कार्ड में उन वस्तुओं की एक सूची है, जिन्हें आपको आवश्यक रूप से बताना होगा। प्रतिबंधित वस्तुओं के अलावा, इनमें शामिल हैं:

- मिठाइयां और वेफ़र
- खाद्य और खाना पकाने की सामग्री, और मसाले
- पौधे और पौधों के उत्पाद
- पशु उत्पाद
- घर के बाहर उपयोग किये जाने वाले औज़ार
- अचार (मसाला लगाया हुआ मांस और मछली समेत)
- नट, मसाले, जड़ी बूटी
- सूखे, पकाये, या संरक्षित फल और सब्जियां (अचार समेत)
- दूध के उत्पाद, घी समेत

यदि आपको नहीं मालूम कि न्यूजीलैंड में किसी वस्तु की अनुमति है या नहीं, तो उसे आप लैंड करने पर अराइवल कार्ड पर बता दें। उसके बाद सीमा कर्मचारी जांच करेंगे कि आपके पास क्या है – इसके बाद भी देश में कई सारी चीजों की अनुमति दी जा सकती हैं। डरें नहीं, बस बता दें।

जब भी आप आयें जो भी आप लाएं इसके बारे में हमेशा बता दें। ऐसा नहीं करने पर आपको \$400 न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना लगेगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें biosecurity.govt.nz/hindi-declare